

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2721]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 16, 2015/अग्रहायण 25, 1937

No. 2721]

NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 16, 2015 /AGRAHAYANA 25, 1937

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 दिसम्बर, 2015

सं. 28/2015-2020

विषय : विदेश व्यापार नीति, 2015-20 के पैरा 4.42 में मैसर्स एचआरडी डायमंड इंस्टीच्यूट प्राइवेट लिमिटेड को जोड़ना।

का.आ. 3419(अ).—विदेश व्यापार नीति, 2015-20 के पैरा 1.02 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 की सं० 22) की धारा 5 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा एफटीपी 2015-20 के निम्नलिखित प्रावधानों में संशोधन करती है :

एफटीपी 2015-20 के पैराग्राफ 4.42 की क्र० सं० (4) में निम्नलिखित प्रविष्टि को शामिल किया जाता है :-

“(4) एचआरडी डायमंड इंस्टीच्यूट प्राइवेट लिमिटेड, मुम्बई, महाराष्ट्र, इंडिया।”

2. इस अधिसूचना का प्रभाव :

मैसर्स एचआरडी डायमंड इंस्टीच्यूट प्राइवेट लिमिटेड, मुम्बई, महाराष्ट्र, इंडिया को प्रक्रिया पुस्तक 2015-20 के पैराग्राफ 4.75 और इस संबंध में अन्य लागू कानूनी प्रावधानों में उल्लिखित शर्तों के अधीन प्रमाणन/ग्रेडिंग के लिए हीरों के शुल्क-मुक्त आयात और तदनुसूची पुनः निर्यात के लिए अनुमत एजेंसी के रूप में जोड़ा जाता है।

[फा०सं० 01/94/180/52/एम 16/पीसी-4]

अनूप वधावन, महानिदेशक, विदेश व्यापार

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department of Commerce)****(Directorate General of Foreign Trade)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 16th December, 2015

No. 28/ 2015—20**Sub: Addition of M/s. HRD Diamond Institute Private Limited in paragraph 4.42 of FTP 2015—20.**

S.O. 3419 (E).— In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Foreign Trade (Development & Regulation) Act, 1992 (No.22 of 1992) read with Para 1.02 of the Foreign Trade Policy, 2015—2020, the Central Government hereby amends the following provisions of [FTP 2015—20](#) :

The following entry is inserted at serial No. (4) in Para 4.42 of [FTP 2015—20](#):

“(4) HRD Diamond Institute Private Limited, Mumbai, Maharashtra, India.”

2. Effect of this Notification:

M/s. HRD Diamond Institute Private Limited, Mumbai, Maharashtra, India is added as agency permitted to import duty free diamonds for certification/grading and subsequent re-export, subject to conditions mentioned in paragraph 4.75 of Handbook of Procedures 2015—20 and other applicable provisions of the law in this regard.

[F. No. 01/94/180/52/AM 16/PC-4]

ANUP WADHAWAN, Director General of Foreign Trade